न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम रायपुर जमाबंदी सं. 2081 के खाता में दर्ज खातेदारान ने BRKGB शाखा रायपुर से कृषि ऋण लिया था जिसका जमाबंदी में इन्द्राज है। वर्तमान में भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 से BRKGB का नाम परिवर्तित होकर RGB हो गया है। अतः अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जावे।

खाता सं.	वर्तमान खतौनी अनुसार खाते की संक्षिप्त प्रविष्टि	वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	4	5
470	श्रीमती कमलाबाई पत्नि स्व. मनोज कुमार	BRKGB शाखा रायपुर	RGB शाखा रायपुर

शाखा प्रबंधक
BRKGB शाखा रायपुर

रिपोर्ट पटवारी

महोदय, वादी/प्रार्थी के वादपत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 अनुसार वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर शुद्ध करने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी
प0म0 रायपुर

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

महोदय, पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने योग्य है।

भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वृ0 रायपुर
08/04/26

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशकार सरकार

क्रमांकः राजस्व/2026/ LR/854 दिनांक : 08-4-26

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार
तहसील रायपुर
08-04

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

दिनांक : 10/04/26

क्रमांकः राजस्व न्यायालय/2026/ 107

भारत सरकार के राजपत्र से दिनांक 07.04.2025 एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज BRKGB शाखा रायपुर के स्थान पर RGB शाखा रायपुर दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में BRKGB [illegible] शाखा रायपुर इन्द्राज दुरूस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 14:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner